न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2020/00182
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 29/2020

1. श्री बंशीधर शर्मा पुत्र श्री प्रभाती लाल, निवासी ग्राम अणी, ढाणी ढाबवाली, पोस्ट लबाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर बहैसियत मुख्त्यारआम अदिति पुत्री गोपाललाल, भूरी देवी पत्नी भूरामल, निवासी ग्राम मोरीजा, ढाणी ढाकला की, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर एवं गायत्री पत्नी राधेश्याम, प्रभाती देवी पत्नी प्रभात उर्फ प्रभूलाल, सुमन पत्नी महेन्द्र, निवासी ग्राम ढाणी ढाबहाली, पोस्ट लबाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – **प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128
सपठित धारा 111 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 30.04.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 3132, 3132/6772, 3132/6776, 3411, 7986/3413 वाके ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खातेदार काश्तकार अदिति पुत्री गोपाललाल, भूरी देवी पत्नी भूरामल, निवासी ग्राम मोरिजा, ढाणी ढाकला की, तहसील चौमू, जिला जयपुर एवं गायत्री पत्नी राधेश्याम, प्रभाती देवी पत्नी प्रभात उर्फ प्रभूलाल, सुमन पत्नी महेन्द्र, निवासी ग्राम ढाणी ढाबहाली, पोस्ट लबाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर है, ने उक्त भूमि बाबत एक मुख्त्यारनामा खास दिनांक 16.09.2020 को उपपंजीयक कार्यालय, आमेर के समक्ष श्री बंशीधर शर्मा पुत्र श्री प्रभाती लाल, निवासी ग्राम अणी, ढाणी ढाबवाली, पोस्ट लबाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर के हित में निष्पादित कर रखा है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजी का शांतिपूर्वक कब्जे–काश्त में होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। लेकिन प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु अपने खेत के तारबंदी करवा सुरक्षित रखना चाहता है, जिससे की सींवा–जोड खातेदारो से कभी भी सीमा संबंधी किसी बात पर कोई विवाद उत्पन्न न हो, जिस कारण से प्रार्थी ने पूर्व में अपनी उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार, आमेर के समक्ष आवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक भू.अ./20/9221 दिनांक 15.10.2020 की पालना में सीमाज्ञान पडोसियो की मोजूदगी में किया गया। प्रार्थी की ख0न0 3132, 3132/6772, 3132/6776, 3411, 7986/3473 वाके ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि में जबरन मजाहमत करने के कारण तथा प्रार्थीगण की अपनी सीमाओं को महदूद करने की गुरेज से व पडौसी

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जयपुर

खातेदार काश्तकारो से आपसी लडाई झगडे से निजात पाने के लिये, पत्थरगढी करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसलिये प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार पत्थरगढ़ी किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 3132, 3132/6772, 3132/6776, 3411, 7985/3413 वाके ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर की पत्थरगढ़ी पुलिस इमदाद से करवाने हेतु तहसीलदार, आमेर को आदेशित व निर्देशित करने की कृपा करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्र क्रमांक भू.अ./21/562 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार हैः— राजस्व ग्राम अचरोल के आराजी ख0न0 3132, 3132/6772, 3132/6776, 3411, 7986/3413 किता 05 रकबा 2.00 हैक्टे0 वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 386 में दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर के खातेदार अदिती पुत्री गोपाल, गायत्री पत्नि राधेश्याम, प्रभाती देवी पत्नि प्रभात उर्फ प्रभूलाल, भूरी देवी पत्नि भूरामल, सुमन पत्नि महेन्द्र, जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरान का सीमाज्ञान पूर्व में किया जा चुका है। उक्त खसरान के उत्तर दिशा में वन विभाग तथा पश्चिम व दक्षिण में जेडीए का गै0मु0रास्ता है। पूर्व दिशा व दक्षिण दिशा तके खातेदारी भूमि दर्ज है। भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण व माफी मंदिर से संबंधित नही है। खाते पर स्थगन दर्ज नही है। पडौसी खातेदार से विवाद की संभावना है। पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी किया जाना संभव है।

::— आदेश —::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि :—

01. चूँकि पत्रावली के अध्ययन के पश्चात देख गया कि लगवा/पडौसी खातेदारों को विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया था, जिस कारण उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः न्यायालय का मत है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व सभी लगवा/पडौसी पक्षकारों को विधिवत नोटिस दिया जाकर सूचित करे।
02. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 3132, 3132/6772, 3132/6776, 3411, 7986/3413 वाके ग्राम अचरोल, तहसील

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

आमेर, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये

03. तहसीलदार, तहसीलद आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रकिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।

04. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

05. तहसीलदार, आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तांतरण नही करें।

06. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। कब्जा संबंधी मामलो में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

आज दिनांक 30.04.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर